पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी–बिरकोना मार्ग ,बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. A 1015 / शिक्षा / 2020 बिलासपुर, दिनांक 11 / 09 / 2020

/अधिसूचना/

कोविड–19 के कारण राज्य शासन के आदेश क्रमांक 741 / 2020 / 20–30 दि. 23.07.2020 के अनुसार सत्र 2020–21 के लिए डि.एल.एड. एवं बी.एड. की प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी तथा इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। विद्यापरिषद् की अनुशंसा पर कार्यपरिषद् द्वारा प्रवेश मानक अनुमोदित किया गया है।

डी.एल.एड. प्रवेशः प्रावीण्य सूची हेतु नियम :–

1. डी.एल.एड. के प्रवेश में न्यूनतम अहर्ता एन.सी.टी.ई. के मानक अनुसार निर्धारित होगी। जिसके आधार पर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा।

2. डी.एल.एड. प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनके 10वीं के अंक को प्रावीण्य सूची का आधार बनाया जाएगा।
3. 10वीं में भी समान अंक होने पर जिसका शिक्षण अनुभव अधिक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

4. साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो (अगस्त 2020 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा)। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जायेगा तथा कोई शुल्क वापस नही किया जायेगा।

5. यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत् होना अनिवार्य है।
6. अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा–वर्ग / विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंको में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।